

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

१)

संख्या:अट्टारह-233-(एसआई लिपिक)2023

दिनांक:लखनऊ:3-10-2023

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(32)-2023 दिनांक 26.09.2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 22 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 22 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में 30.09.2023 तक पुलिस निरीक्षक(लिपिक) की 11 रिक्तियाँ विद्यमान है, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 11 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह अक्टूबर-2023 से जून 2024 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 11 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	8	912190295	कृपाशंकर सिंह	स्व० बरसाती सिंह	26-12-1968	आईजी रेलवे प्रयागराज	2023
2	10	912020585	अतुल कुमार दुबे	श्रीराम कुमार दुबे	15-12-1971	जीआरपी आगरा	2023
3	11	912550495	ललित कुमार शर्मा	स्व० श्रीराम प्रकाश शर्मा	12-09-1966	पीटीएस मेरठ	2023
4	13	910650379	राकेश कुमार दीक्षित	स्व० शिवाधर दीक्षित	10-06-1968	एसटीएफ लखनऊ	2023
5	14	912610289	सुशील कुमार कनौजिया	स्व० किशन लाल	01-01-1967	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2023
6	15	922510726	हरेन्द्र सिंह पवार	स्व० महेन्द्र सिंह पवार	08-03-1967	पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) कार्यालय अभिसूचना विभाग बरेली	2023
7	16	921022134	बृज किशोर वर्मा	स्व० उमाशंकर वर्मा	07-11-1969	प्रतापगढ़	2023
8	19	922330780	सुरेन्द्र सिंह	स्व० श्री कुंवर सिंह	20-11-1967	बुलंदशहर	2023
9	21	922510292	संजीव कुमार	स्व० श्री हरवीर सिंह	08-06-1973	पीएसी मेरठ अनुभाग मेरठ	2023
10	22	922230048	नागेन्द्र सिंह भदौरिया	स्व० श्री शिवरतन सिंह	15-07-1972	कानपुर देहात	2023
11	24	920790034	संजीव कुमार	स्व० रनवीर प्रसाद	01-04-1966	परिक्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़	2023

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89- का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

(एल0आर0 कुमारी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे/पीटीएस मेरठ/एसटीएफ लखनऊ/पीएसी/अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3.अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
- 4.जोनल अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज/मेरठ/कानपुर/आगरा।
- 5.पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे प्रयागराज।
- 6.पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी मेरठ अनुभाग मेरठ।
- 7.पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज/मेरठ/अलीगढ़/कानपुर परिक्षेत्र।
- 8.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़/बुलन्दशहर एवं कानपुर देहात।

स्वघोषणा-पत्र

2)

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।